

न्यायालय- श्रीमती सपना पोर्ते, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ (म0प्र0)

कमांक- 79/24

टीकमगढ, दिनांक 05.02.2024

-: विविध संशोधन कार्य विभाजन आदेश :-

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 15(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत श्रीमती पलक राय, जेएमएफसी निवाड़ी के मातृत्व अवकाश पर जाने एवं प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इस न्यायालय के कार्य विभाजन आदेश दिनांक 19.07.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए जिला न्यायालय मुख्यालय टीकमगढ अंतर्गत आने वाले निम्न कंडिकायें संशोधित की जाती हैं:-

1- कार्य विभाजन आदेश दिनांक 19.07.2023 में जिला न्यायालय मुख्यालय स्थापना टीकमगढ तथा सिविल न्यायालय तहसील जतारा अंतर्गत आने वाले थानों में घटित अपराधों में धारा 164 द.प्र.सं. के कथन के संबंध में पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेश में संशोधन करते हुये धारा 164 द.प्र.सं. के संबंध में नवीन आदेश निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

1-	श्रीमती नूतन रावते, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ जिला टीकमगढ म0प्र0	धारा पॉक्सो, एससी/एसटी एक्ट से संबंधित धारा 164 दप्रसं के कथन	आरक्षी केन्द्र कोतवाली टीकमगढ, महिला थाना टीकमगढ, अ. जा.क. टीकमगढ, देहात टीकमगढ, बल्देवगढ, दिगौड़ा, खरगापुर, बुड़ेरा, बड़ागांव, कुड़ीला, द्वारा प्रस्तुत मान्नीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों में धारा-164 द.प्र.स. के कथन/संस्वीकृति। (जिला न्यायालय मुख्यालय स्थापना टीकमगढ अंतर्गत आने वाले समस्त थानों के पॉक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट से संबंधित धारा 164 दप्रसं के कथन)
2-	सुश्री रिशु भगत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ जिला टीकमगढ म0प्र0	महिला संबंधी मामलों के धारा 164 द.प्र.सं. के कथन	आरक्षी केन्द्र कोतवाली टीकमगढ, महिला थाना टीकमगढ, अ. जा.क. टीकमगढ, देहात टीकमगढ, बल्देवगढ, दिगौड़ा, खरगापुर, बुड़ेरा, बड़ागांव, कुड़ीला द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के कथन/संस्वीकृति। (जिला न्यायालय मुख्यालय स्थापना टीकमगढ अंतर्गत आने वाले समस्त थानों के धारा 164 दप्रसं के कथन, धारा 376 भादवि से संबंधित मामलों के सहित)
3-	श्री संगम सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ जिला टीकमगढ म0प्र0	धारा 164 दप्रसं के कथन	आरक्षी केन्द्र कोतवाली टीकमगढ, महिला थाना टीकमगढ, अ.जा.क. टीकमगढ, देहात टीकमगढ, बल्देवगढ, दिगौड़ा, खरगापुर, बुड़ेरा, बड़ागांव, कुड़ीला द्वारा प्रस्तुत अन्य धाराओं धारा-164 द.प्र.स. के कथन/ संस्वीकृति। (जिला न्यायालय मुख्यालय स्थापना टीकमगढ अंतर्गत आने वाले समस्त थानों के धारा 164 दप्रसं के कथन, गैर महिला संबंधी अन्य प्रकरणों में)


(श्रीमती सपना पोर्ते)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला-टीकमगढ (म0प्र0)

4-	सुश्री विजया भारती यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जतारा जिला टीकमगढ़ म0प्र0	धारा पॉक्सो, एससी/एसटी एक्ट से संबंधित धारा 164 दप्रसं के कथन	आरक्षी केन्द्र जतारा, पलेरा, चंदेरा, बम्हौरीकलां, लिधौरा द्वारा प्रस्तुत माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों में धारा-164 द.प्र.स. के कथन/संस्वीकृति। (जिला न्यायालय मुख्यालय स्थापना टीकमगढ़ अंतर्गत आने वाले समस्त थानों के पॉक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट से संबंधित धारा 164 दप्रसं के कथन)
5-	श्रीमती संगीता डाबर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जतारा जिला टीकमगढ़ म0प्र0	महिला संबंधी मामलों के धारा 164 द.प्र.सं. के कथन	आरक्षी केन्द्र जतारा, पलेरा, चंदेरा, बम्हौरीकलां, लिधौरा द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के कथन/संस्वीकृति। (जिला न्यायालय मुख्यालय स्थापना टीकमगढ़ अंतर्गत आने वाले समस्त थानों के धारा 164 दप्रसं के कथन, धारा 376 भादवि से संबंधित मामलों के सहित)
6-	श्री अभिषेक कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जतारा, जिला टीकमगढ़ म0प्र0	धारा 164 दप्रसं के कथन	आरक्षी केन्द्र जतारा, पलेरा, चंदेरा, बम्हौरीकलां, लिधौरा द्वारा प्रस्तुत अन्य धाराओं धारा-164 द.प्र.स. के कथन/ संस्वीकृति। (जिला न्यायालय मुख्यालय स्थापना टीकमगढ़ अंतर्गत आने वाले समस्त थानों के धारा 164 दप्रसं के कथन, गैर महिला संबंधी अन्य प्रकरणों में)

नोट:-

1. यह विविध संशोधन कार्यविभाजन पत्रक सभी न्यायिक मजिस्ट्रेटगणों के ई-मेल पर संसूचित किया जा रहा है इसलिए पृथक से प्रतिलिपि भेजने की आवश्यकता नहीं है।

“यह आदेश आज दिनांक 05.02.2024 से तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।”


श्रीमती सपना पोर्ते
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
टीकमगढ़ म0प्र0

पृष्ठांकन क्रमांक-791-19/2024


टीकमगढ़, दिनांक 05.02.2024

प्रतिलिपि:-

- 1- माननीय रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 2- माननीय प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 3- माननीय जिला न्यायाधीश (निरीक्षण एवं सतर्कता) वृत्त ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।

0/C

- 4- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, टीकमगढ़ म.प्र. की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 5- कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़/निवाड़ी की ओर जिले से संबंधित विभागों को सूचित करने हेतु प्रेषित।
- 6- पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़/निवाड़ी की ओर जिले के समस्त थाना प्रभारियों को सूचित करने हेतु प्रेषित।
- 7- जिला अभियोजन अधिकारी टीकमगढ़ की ओर समस्त अभियोजन अधिकारियों को सूचित करने के निर्देश के साथ प्रेषित।
- 8- श्रीमान विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) टीकमगढ़ म0प्र0 की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 9- समस्त अपर सत्र न्यायाधीश महोदय टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी, सिविल जिला टीकमगढ़ म0प्र0 की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 10- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी/ओरछा सिविल जिला टीकमगढ़ म.प्र. की ओर आदेशार्थ प्रेषित।
- 11- श्रीमान प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं संबंधित को मेल किये जाने हेतु अधीनस्थ को निर्देशित दिए जाने हेतु।
- 12- अध्यक्ष अभिभाषक संघ, टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी/ओरछा, जिला टीकमगढ़ म.प्र.।
- 13- डीएसए/सिस्टम ऑफिसर/एसए, टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी/ओरछा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 14- केन्द्रीय फाईलिंग काउंटर टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 15- प्रस्तुतकार/स्टेनो, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ म0प्र0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 16- निष्पादन लिपिक, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


श्रीमती सपना पोर्त
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
टीकमगढ़ म0प्र0

o/c